इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014—श्रावण 2, शक 1936

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्र. एफ. 15-21-2010-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा 38V(4)(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-21-2010-दस-2, दिनांक 9 अगस्त, 2012 द्वारा पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन का 1002.42 वर्ग किलोमीटर घोषित किए गए बफर क्षेत्र में संशोधित क्षेत्रफल तथा उत्तरी एवं पश्चिमी सीमाओं को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :—

पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन का संशोधित क्षेत्रफल :

(1)	आरक्षित वन	191.86 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 197.43 वर्ग किलोमीटर.
(2)	संरक्षित वन	681.58 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 695.25 वर्ग किलोमीटर.
(3)	अन्य क्षेत्र	128.98 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 129.29 वर्ग किलोमीटर.
(4)	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1002.42 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 1021.97 वर्ग किलोमीटर.

सीमाओं में संशोधन का विवरण:

उत्तर—पूर्व अधिसूचना के ''पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कक्ष पी-522 (भाग) की उत्तरी सीमा'' के स्थान पर-''कक्ष क्रमांक पी-552 (भाग) की सीमा पर ग्राम सलैया की क्षतिपूर्ति वनीकरण में प्राप्त भूमि को शामिल करते हुए नवीन सीमा'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

पश्चिम—पूर्व अधिसूचना के ''पी-522 की पश्चिमी सीमा एवं कक्ष क्रमांक पी-523, पी-524ए, पी-510, पी-509 की उत्तरी सीमा ग्राम सुकवाहा को शामिल करते हुए श्यामरी नदी तक'' के स्थान पर-''वनखण्ड किशनगढ़ 'बी' के पश्चिमी दक्षिणी सीमा जो कि पी-552 से मिलता है, वनखण्ड किशनगढ़ 'बी' के श्यामरी नदी की पश्चिमी उत्तरी सीमा जो कि पी-440 तक एवं पी-442 की दक्षिणी सीमा तक'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त, 2012 में उल्लेखित उत्तर एवं पश्चिम की शेष सीमाएं तथा दक्षिण एवं पूर्व सीमा यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्र. एफ. 15-21-2010-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-21-2010-दस-2, दिनांक 24 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal, the 24th July 2014

No. F 15-21-2010-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 38V(4)(ii) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) (as amended up to 2006), the Government of Madhya Pradesh hereby amends 1002. 42 Sq. Km. area of buffer zone of Panna Tiger Reserve declared vide Madhya Pradesh Forest Department notification No. F-15-21-2010-X-2, dated 9th August, 2012, as area and northern and western boundaries of buffer zone of Panna Tiger Reserve are amended and notified as under :—

ANNEXURE

(1)	Reserve Forest	197.43 Sq. Km. instead of 191.86 Sq. Km.
(2)	Protected Forest	695.25 Sq. Km. instead of 681.58 Sq. Km.
(3)	Other Area	129.29 Sq. Km. instead of 128.98 Sq. Km.
(4)	Total Geographical Area	1021.97 Sq. Km. instead of 1002.42 Sq. Km.

Description of amendment in boundaries :

North—"northern boundary of compt. No. P-552 (Part) of Panna National Park" in earlier notification is amended as "where the boundary of compt. No. P-552 (Part) and acquired land of village Salaiya for Compensatory Aforestation is included."

West—"northern boundary of P-523, P-524-A, P-510, P-509 up to village Sukhwaha including the revenue area of Sukhwaha village up to Shyamary river" in earlier notification is amended as "from the, meeting point of south western boundary of Kishangarh 'B' Block with P-522, north western and northern boundary of Kishangarh 'B' Block following Shyamary river up to the meeting point of southern boundary of P-440 and up to southern boundary of P-442."

Rest of the boundaries of north and west and the boundary of south and east as shown in notification dated 9th August, 2012, remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

PRASHANT KUMAR, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.